

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तिनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद सं० 36 वर्ष 2025-26

आवेदक- प्रकाश पासवान वगै०

क्रेता- ज्योति देवी

ग्राम- पलिहारी गुरुडीह

ग्राम- स्वांग, पुराना माइंस भुइयां

थाना- गोमिया

जिला-बोकारो

थाना- गोमिया

जिला-बोकारो

आदेश की क्र०सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
03

23/9/25

आदेश

यह वाद आवेदक-1. प्रकाश पासवान 2. बंदी पासवान, दोनों के पिता-स्व० लालो पासवान निवास ग्राम-पलिहारी गुरुडीह, पो०+थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पलिहारी गुरुडीह	108	13	1961	31 डी०	10 डी०	रैयती, धान वर्तमान स्वरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 4,07,000/- (चार लाख सात हजार) रुपये में क्रेता-ज्योति देवी, पति-स्व० गोला रविदास, निवास ग्राम-स्वांग, पुराना माइंस भुइयां, पो०-स्वांग, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1613/रा०, दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-1762, दिनांक-02.09.2025 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता जाति के दुसाध एवं क्रेता जाति के चमार हैं। जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में झरिया दुसाध के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-11 के पृष्ठ सं०-58, भौलुम सं०-1 पर झरिया दुसाध के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. खतियानी/जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर पोता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में झरिया

दुसाध के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-1 के फूट सं०-58, मौलुम सं०-1 पर झरिया दुसाध के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान स्वीट जं 2024-25 से 2025-26 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम का छायाप्रति ।

02. केता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंशक अधिकार गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता जाति के दुसाध स्वयं के जाति के चमार है। जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है जो खतियानी घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-1. प्रकाश पासवान 2. बद्री पासवान, दोनों के पिता-स्व० लालो पासवान निवास ग्राम-पलिहारी गुरुडीह, पो०-थाना-गोमिया, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पलिहारी गुरुडीह 108	13	1961	31 डी०	10 डी०	रास्ता वो सुरेन्द्र पासवान	सुजीत अग्रवाल	राजु रविदास	अंसारी वगै० वाके
कुल				10 डी० (दस डिसमिल जमीन मात्र)				

मो० 4,07,000/- (चार लाख सात हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-ज्योति देवी, पति-स्व० गोला रविदास, निवास ग्राम-स्वांग, पुराना माइंस भुइयां, पो०-स्वांग, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।